न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:–150/2020 (GCMS No. 2020/00150) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. बजरंगलाल पुत्र भौरू आयु 76 साल जाति वैष्णव निवासी गोठरा तहसील सपोटरा जिला करौली।

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपजिला कलक्टर सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली।

.....रेस्पोडेन्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा आवंटन आदेश क्रमांक/आवंटन /2016/282–85 दिनांक 03.06.2016।

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री विष्णु बंसल, वकील
2. रेस्पोडेन्टस की ओर से राजकीय पैरोकार वकील

नि र्ण य

दिनांक : 26.10.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर सपोटरा के आदेश दिनांक 03.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट के हक में उप जिला कलक्टर सपोटरा द्वारा दिनांक 21.04.2016को ग्राम गोठरा तहसील सपोटरा के ख.नं. 1744/1 में रकवा 02 विस्वा भूमि किस्म गैर मुमकिन पहाड सिंचाई प्रयोजनार्थ कुँआ खोदने तथा पम्पिंग सैट लगाने हेतु शर्तों के अध्यधीन आवंटित की गई जिसकी फीस अपीलांट द्वारा नियमानुसार जमा करा दी गई। उप जिला कलक्टर सपोटरा ने अपीलांट के हक में किये गये आवंटन को बिना नोटिस दिये और बिना सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 03.06.2016 द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये।

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

3. उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।

4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट के हक में आवंटन/नियमन बोर (वैल) खोदने एवं पम्प सेट स्थापित करने हेतु 2 विस्वा भूमि आवंटित कर दी गई, जिसकी अपीलांट ने नियमानुसार फीस जमा कराई गई और लाखों रूपये खर्च कर बोर निर्माण कराया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2016 जारी करने से पूर्व अपीलांट को कोई सुनवाई का नोटिस नहीं दिया गया और न ही जबाबदेही व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उप जिला कलक्टर द्वारा जमीन हमारी न होना बताकर आवंटन आदेश खारिज कर दिया गया हमारे द्वारा जमा कराई गई राशि को वापस भी नहीं लौटाया गया है। अपीलांट द्वारा जमा कराई गई राशि को वापस कराया जावे। उप जिला कलक्टर सपोटरा को आवंटन आदेश दिनांक 21.04.2016 को 5 वर्ष की अवधि तक निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त आवंटन आदेश को अपास्त करने का अधिकार अपीलीय न्यायालय को है। उक्त भूमि पर हमारा पम्पसैट लगा हुआ है। आवंटित भूमि के सहारे अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है जो पूर्वजों के समय से अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। सैटिलमेंट में खातेदारी इन्द्राज भी अपीलांट के पूर्वजों पिता व पितामह के रहे हैं। उनके कब्जे काश्त खातेदारी जमाबंदी संवत् 2028–31 में स्पष्ट हैं। जमांबदी संवत् 2036–39 में खसरा नम्बर 1363, 1408, 1312, 1313 से 1315, 1317 एवं 1318 हमारे नाम है। तहसीलदार सपोटरा ने अपीलांट का कब्जा काश्त भूमि पर होना माना है। अपीलांट का अतिक्रमी होने का प्रश्न ही नहीं है। आवंटन होने के बाद कानूनन अपीलांट अतिक्रमी नहीं रहता है। आवंटन से पूर्व पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई जिसमें पटवारी हल्का द्वारा आवंटी के पास भूमि होना बताया हुआ है। अपीलांट मंदिर ठाकुरजी का सेवायत पुजारी है। आवंटन भूमि की सिंचाई हेतु किया गया है। मंदिर भूमि को सिंचाई हेतु भी आवंटन माना जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत गोठरा अपीलांट से चुनाव में वोट नहीं देने के कारण रंजिश मानता है। अपीलांट द्वारा आवंटन दिनांक 21.04.2016 की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर उप जिला कलक्टर सपोटरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2016 अपास्त किया जावे तथा अपीलांट के हक में किये गये आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 21.04.2016 को यथावत रखा जावे।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। यह आवंटन पूर्ण रूप से अस्थायी आवंटन होता है जो शर्तों के अध्यधीन किया जाता है और शर्तों के भंग की स्थिति में कभी भी निरस्त किया जा सकता है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बहाल रखा जावे। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 03.09.2015 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर आराजी ख.नं. 1744/1 में से रकवा 0.02 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पहाड आदेश दिनांक 21.04.2016 से राजस्थान भू –राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुँआ खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमि आवंटन) नियम 1979 के तहत अपीलांट की खातेदारी भूमि की सिंचाई हेतु शर्तों के अध्यधीन आवंटित की गई थी। जिसकी राशि अपीलांट द्वारा दिनांक 21.04.2016 द्वारा जरिये चालान जमा राजकोष करा दी गई। आवंटन के बाद सरपंच ग्राम पंचायत गोठरा के शिकायती प्रार्थना पत्र पर उप जिला कलक्टर सपोटरा द्वारा दिनांक 23.05.2016 को तहसीलदार सपोटरा से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार सपोटरा द्वारा दिनांक 31.05.2016 को प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन पाया जाता है कि आ.ख.नं. 1744/1 रकवा 382 बीघा 19 विस्वा वांके ग्राम गोठरा को मौका पटवारी, सरपंच व आवंटी के साथ देखा। आवंटी द्वारा 02 विस्वा में माफी मंदिर की जमीन के पास 85 फीट पर नवीन बोर करवा रखी है। पुजारी होने के कारण आवंटी गत कई वर्षों से काश्त करता आ रहा है किन्तु आवंटी के नाम नवीन बोर के आस पास खातेदारी की भूमि स्वयं की नहीं है। आवंटन शुदा रकवा का आवंटी मौका व रिकार्ड के आधार पर अतिचारी है। पटवारी हल्का व आवेदक ने जानबूझकर खातेदारी का तथ्य छिपाया है। ख.नं. 1744/1 सिवायचक पहाड, वन विभाग एवं आबादी दर्ज है लेकिन तरमीम नहीं है। इसी प्रकार पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 30.05.2016 में भी स्पष्ट अंकन पाया जाता है कि आवंटित रकवा के आस पास उक्त गैर खातेदार की कोई खातेदारी नहीं है। उप जिला कलक्टर सपोटरा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2016 को स्वयं की खातेदारी भूमि नहीं होने के आधार पर निरस्त किया गया है। नजरी नक्शा में भी विवादित रकवा के पास अपीलांट की खातेदारी भूमि नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवंटित भूमि ख.नं. 1744/1 रकवा 02 विस्वा को आवंटन कराते समय प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 3 को स्वीकार किया गया है जबकि तहसीलदार सपोटरा एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अन्य कोई गैर खातेदारी या खातेदारी भूमि नहीं है। अपीलांट आवंटन शुदा रकवा का मौका एवं रिकार्ड के आधार पर अतिचारी है। अपीलांट द्वारा तथ्य छिपाकर आवंटन कराया गया है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी के समीप अपने खातेदारी या गैर खातेदारी रकवा के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

बिन्दु संख्या 3 की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलें सारहीन एवं निराधार हैं जिनसे हम सहमत नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य नहीं समझते है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर